

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेस हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बी-7/2/तौ.का./14/२६७

भोपाल, दिनांक 14/12/2015

परिपत्र

विषय:- प्रदेश की मंडी समितियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट, आपरेट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौल-काटे की स्थापना एवं संचालन करने बावत् नवीन दिशा निर्देश ।

प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में आने वाली कृषि उपज की तौल बी.ओ.टी. के आधार पर स्थापित एवं संचालित तौल कांटों से कराये जाने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश बोर्ड के पत्र क्रमांक/बी-7/2/तौ0कांटा/14/204 भोपाल, दिनांक 15.6.2010 तथा पत्र क्र0 बी-7/2/तौ0कांटा/14/324 भोपाल, दिनांक 2.11.2011 द्वारा जारी किये गये थे । बी.ओ.टी. पर स्थापित तौल कांटों से तौल कराये जाने की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदित व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उल्लेखित निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये नवीन निर्देश एवं अनुज्ञाप्ति तथा करार के निवन्धन की एकजाई शर्त म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम-2009 के नियम-20 (1) (एक) में प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है, जिसके अन्तर्गत मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों में बी0ओ0टी0 तौल-कांटों की स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी :-

1. मण्डी समिति के प्रांगण में आने वाली कृषि उपज का ऑकलन कर बी.ओ.टी पर तौल कांटों की स्थापना की आवश्यकता/औचित्य का निर्धारण किया जावेगा तथा तदाशय का प्रस्ताव मण्डी समिति अपने नियमित सम्मेलन में पारित करेगी ।
2. मण्डी समिति बी.ओ.टी पर लगाये जाने वाले कांटों की स्थापना हेतु मण्डी में उपलब्ध स्थानों में से ऐसे स्थान का चयन किया जावेगा, जहाँ प्रांगण में आने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके तथा मण्डी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो । मण्डी समिति कंडिका-1 में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण भी प्रस्तुत करेगी । उक्त प्रयोजन के लिए यदि स्थान चिन्हित न हो तो समिति लेआउट में तदानुसार संशोधन भी सुनिश्चित करेगी ।
3. तौल कांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी । आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आकार 15X10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ।
4. आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का किराया स्थानीय कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जावेगा । उक्त भूमि के किराये में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति वर्ष मण्डी समिति द्वारा की जावेगी ।
5. परिपत्र के निर्देश अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कर निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र, जिसका प्रसार सर्वाधिक हो, में ही किया जावेगा तथा निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रु.1000/- होगी ।


6. प्राप्त निविदाओं को खोलने की कार्यवाही निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जावेगी :—
1. अध्यक्ष, मंडी समिति.
  2. कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी.
  3. संयुक्त संचालक / उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय अथवा उनके प्रतिनिधि.
  4. आंचलिक कार्यालय के कार्यपालन यंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में सहायक यंत्री.
  5. मंडी समिति के निर्वाचित 2 सदस्य, जिसमें एक महिला हो.
  6. निर्वाचित व्यापारी सदस्य.
  7. सचिव, मंडी समिति — ये संयोजक सदस्य होंगे ।

**सामान्यतः** उक्त समिति प्राप्त निविदाओं का परीक्षण करेगी। बैठक में अध्यक्ष मण्डी समिति, कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी, संयुक्त संचालक / उप संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि तथा समिति में नामांकित मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित होने पर ही सचिव, मण्डी समिति द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। समिति द्वारा सभी अर्हताएँ पूर्ण करने वाले निविदाकारों में प्रीमियम की अधिकतम दर देने वाले निविदा के निर्धारण हेतु तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर अपनी अनुशंसा करेगी। निविदा में निविदा की दर वार्षिक प्रीमियम के आधार पर ली जायेगी। समिति की अनुशंसा अनुसार अधिकतम प्रीमियम का आफर देने वाले निविदाकार की निविदा, मंडी समिति द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं कार्यदेश दिये जाकर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जावेगा, जिसमें—

1. अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भू-खण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा।
2. निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाए उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराइज्ड / पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा।

उपरोक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जावेगी। अनुमोदित निविदा प्रपत्र, निविदा आमंत्रण सूचना तथा निविदा की शर्तों एवं अनुबंध का प्रारूप परिपत्र के साथ संलग्न है।

7. बी.ओ.टी आधार पर तौल कांटा लगाने के लिये व्यक्ति / फर्म / संरथा / सहकारी संरथाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को "तौल कांटा संचालक" कहा जावेगा।
8. ऐसी स्थिति में जहाँ मंडी समिति में पूर्व से बी.ओ.टी के आधार पर तौल कांटा स्थापित है एवं मंडी समिति में आने वाली कृषि उपज की तौल सुचारू रूप से इस कांटे पर नहीं हो सकने के कारण एक अतिरिक्त तौल कांटा स्थापित किया जाना हो, तो अतिरिक्त तौल कांटा लगाने के लिए निविदा के माध्यम से वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो नवीन तौल कांटा लगाये जाने के संबंध में निर्धारित की गई है। निविदा की प्रक्रिया में पूर्व स्थापित तौल कांटा संचालक भी भाग ले सकेंगे।
9. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाले तौल कांटे के संचालन की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौल कांटे तथा इसके संचालन के लिये निर्मित की गई समर्त संरचनाएँ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी। मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी। यह व्यवस्था उक्त परिपत्र के जारी होने के पश्चात् लगाये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटों पर ही लागू होगी।



10. तौल-कांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) सचिव, कृषि उपज मण्डी के नाम पर एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी। (स्थानीय परिस्थिति के आधार पर मण्डी समिति द्वारा राशि रु. 1.00 लाख तक अधिकतम धरोहर राशि के रूप में निर्धारित कर सकती है।)
11. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम के 50% राशि अतिरिक्त रूप से जमा की जावेगी।
12. परिपत्र की कण्डिका कमांक-10 अन्तर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा कमांक-11 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (secured advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।
13. तौल कांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर तौल कांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्तुत रूप में मण्डी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कण्डिका-6 में गठित समिति द्वारा कर, अभिमत दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मण्डी समिति कार्यवाही कर सकेगी। अन्तरण मान्य होने पर पूर्व तौल कांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक-10 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मण्डी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौल कांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौल कांटा संचालक की अकस्मात् मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात् ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा। उपरोक्त के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।
14. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (secured advance) राशि की वापिस की जायेगी। परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (secured advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जायेगी।
15. मण्डी समिति में स्थापित किये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटे पर कृषि उपज की तौल के लिये प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि के लिये तुलाई की दरें निविदा जारी करने के पूर्व निर्धारित करना होगी, जो निविदा प्रपत्र का आवश्यक भाग होगा। इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मण्डी समिति को ही होंगे। तौल कांटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से वसूल नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मण्डी समिति सक्षम रहेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें निम्नानुसार होगी, जिसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया जाना अनिवार्य होगा :-

#### अन्य शर्तें :-

- (1) तौल-कांटे की स्थापना का कार्य भारतीय मानक 1436 वर्ष 1991 / 9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जायेगा। इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग स्तर से किये जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जायेगा।



- (2) तौल कांटे की स्थापना एवं रख-रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौल कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार तौल-कांटे के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा किया जावेगा।
- (3) तौल-कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौल कांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन की छत का निर्माण १० सी० शीट से ही करना होगा।
- (4) तौल-कांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा ३२ के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञाप्ति प्राप्त करनी होगी। उपविधि २००० की कंडिका २४(५) एवं (७) के प्रावधान तौल कांटा संचालक पर लागू रहेंगे।
- (5) तौल-कांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी। यदि कृषक स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करना होगी, किन्तु मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन बी.ओ.टी./अन्य बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा।
- (6) तौल कांटा संचालक द्वारा तौल-कांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा। नियत अवधि में किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का १/३० भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी।
- (7) तौल कांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौल-कांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल-कांटे का सत्यापन एवं स्टेमिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौल-कांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
- (8) तौल-कांटे तक आवागमन हेतु डब्ल्यू०बी०एम० या डामरीकृत सड़क का निर्माण मंडी समिति द्वारा स्वयं किया जावेगा।
- (9) तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्यूट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिक आधार पर तौल-कांटा संचालक द्वारा संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (10) तौल-कांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल-कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी। निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात् 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। छ: माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौल कांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी। नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी। यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी। नियत अवधि में तौलकांटा संचालक से अनिवार्य रूप से प्रीमियम की वसूली मंडी समिति द्वारा की जावेगी, इसके लिये मंडी सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (11) तौल-कांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा।

(12) तौलकांटा संचालक पर कान्द्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/निर्देश, तौल-कांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।

(13) तौल-कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु आधा किलोग्राम से लगाकर 100 किलोग्राम तक के 3-4 मानक वजन/बॉट भी हर समय तौल-कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा । इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग करवाना अनिवार्य होगा ।

(14) तौल-कांटे की स्थापना एवं संचालन हेतु आवंटित भूमि के किराये नामे की अवधि 20 वर्ष होगी ।

(15) तौल-कांटा स्थापना हेतु मंडी की श्रेणी अनुसार न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार रहेगी :-


"क"	श्रेणी	राशि रु. 75,000.00
"ख"	श्रेणी	राशि रु 50,000.00
"ग"	श्रेणी	राशि रु. 35,000.00
"घ"	श्रेणी	राशि रु. 25,000.00
उपमण्डी हेतु		राशि रु. 20,000.00

किन्तु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा आवक के आकड़ों के आधार पर तथा व्यापारियों द्वारा ली जाने वाली अनुज्ञा में दर्शाये गये वाहनों की संख्या के आधार पर मण्डी के लिए न्यूनतम प्रिमियम निर्धारित करेगी, जो उपर वर्णित न्यूनतम वार्षिक प्रिमियम राशि से कम नहीं होगी । इस कार्य के लिए मण्डी स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ।
2. कार्यपालन यंत्री संबंधित तकनीकी संभागीय कार्यालय ।
3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति ।
4. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (ये संयोजक सदस्य होंगे)
5. मण्डी समिति का व्यापारी सदस्य

(16) निविदा आमंत्रण में निविदायें एक वर्ष के परिपत्र के कण्डिका क. 15 अनुसार निर्धारित प्रीमियम को अर्थात उपरोक्त राशि को Base Price मानकर आमंत्रित की जावेगी तथा अधिकतम वार्षिक प्रीमियम राशि के प्रकरण को स्वीकृत किया जावेगा ।

(17) तौल कांटा संचालक को तौल कांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौल कांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी । आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौल कांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी ।



828

- (18) अगर कोई तौल-कांटा संचालक तौल कांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात् 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी ।
- (19) मण्डी समिति यदि 10 मेंटन क्षमता का इलेक्ट्रानिक तौल-कांटा स्थापित कराने के पश्चात् आवश्यकता के आधार पर इससे अधिक की क्षमता का अतिरिक्त तौल-कांटा रथापित कराती है तो पूर्व स्थापित 10 मेंटन क्षमता के तौल-कांटे में कृषकों द्वारा ट्रैक्टर द्राली में एकल जिन्स मण्डी में विक्रय हेतु लाये जाने पर उसकी निलामी के पश्चात् संबंधित कृषक एवं व्यापारी की उपस्थिति में पहले भरी हुई द्राली की तौल कराई जावेगी एवं व्यापारी द्वारा इसे अपने गोदाम पर रिक्त कराये जाने के बाद खाली द्राली की तौल भी इसी तौल-कांटे पर कराई जावेगी । उपरोक्तानुसार दोनों तौल के अन्तर को कृषि उपज का बजन माना जावेगा ।
- (20) बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित कराये गये तौल-कांटे की क्षमता को दोनों पक्षों की सहमति से यदि आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना हो तो इस के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री तकनीकी सभाग, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं लेखापाल कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाकर तौल-कांटे की क्षमता परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें सम्पूर्ण व्यय आवंटिती तौल-कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा ।
- (21) तौल-कांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अथवा नियम विरुद्ध आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल-कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनदारी होगा ।
- (22) बी.ओ.टी. के आधार पर तौल-कांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौल-कांटा संचालन द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौल-कांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा ।
- (23) विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।
- (24) न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा ।

संलग्न:- यथोपरि ।

(अरुलनं मादृडय)

प्रबंध संचालक


म0प्र0. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

ભોપાલ, દિનાંક 14/12/2015

ક્રમાંક / બી-7/2/તૌ.કા./14/૧૬૨૮

પ્રતિલિપિ:-

1. વિશેષ સહાયક, માનનીય કૃષિ મંત્રી એવં અધ્યક્ષ, મંડી બોર્ડ, ભોપાલ ।
2. પ્રમુખ રાચિવ, મધ્યપ્રદેશ શાસન, કિસાન કલ્યાણ તથા કૃષિ વિકાસ વિભાગ, ભોપાલ ।
3. કલેક્ટર, જિલ્લા—..... |
4. અપર સંચાલક, (સમર્સ્ત) મંડી બોર્ડ, મુખ્યાલય ભોપાલ ।
5. અપર સંચાલક (સમન્વય) મુખ્યાલય ભોપાલ કી ઓર ભેજકર લેખ હૈ કી સંયુક્ત સંચાલક / ઉપ સંચાલક, મોપ્રોરાજ્ય કૃષિ વિપણન બોર્ડ, આંચલિક કાર્યાલયોં કી માસિક સમીક્ષા બૈઠક કે એજેણ્ડા મેં બી૦૫૦૧૦ તૌલ-કાંટો કી સ્થાપના કે વિષય કે સમીલિત કરેં।
6. મુખ્ય અભિયંતા, મંડી બોર્ડ, મુખ્યાલય ભોપાલ ।
7. અધીક્ષણ યંત્રી / કાર્યપાલન યંત્રી / નિર્માણ શાખા મંડી બોર્ડ, મુખ્યાલય ભોપાલ ।
8. સંયુક્ત સંચાલક, (સમર્સ્ત) મંડી બોર્ડ, મુખ્યાલય ભોપાલ ।
9. ઉપ સંચાલક, (સમર્સ્ત) મંડી બોર્ડ, મુખ્યાલય ભોપાલ ।
10. સંયુક્ત સંચાલક / ઉપ સંચાલક, મોપ્રોરાજ્ય કૃષિ વિપણન બોર્ડ, આંચલિક કાર્યાલય, (સમર્સ્ત) કી ઓર ભેજતે હુયે નિર્દેશિત કિયા જાતા હૈ કી મણ્ડી સમિતિયોં મેં બી૦૫૦૧૦ તૌલ-કાંટે કી સ્થાપના કે વિષય કે ઉનકે સ્તર પર કી જાને વાલી માસિક સમીક્ષા કે નિર્ધારિત એજેણ્ડા મેં સમીલિત કરેં।
11. કાર્યપાલન યંત્રી, મોપ્રોરાજ્ય કૃષિ વિપણન બોર્ડ, તકનીકી સંભાગ, સમર્સ્ત કી ઓર પાલનાર્થ સંચાલક, કૃષિ ઉપજ મંડી સમિતિ, (સમર્સ્ત) |
12. કૃષિ ઉપજ મંડી સમિતિ, (સમર્સ્ત) |  
કી ઓર સૂચનાર્થ એવં આવશ્યક કાર્યવાહી હેતુ પ્રેષિત ।

  
પ્રબુદ્ધ સંચાલક  
મોપ્રો રાજ્ય કૃષિ વિપણ બોર્ડ  
તા ભોપાલ

“निविदा आमंत्रण सूचना” (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

कृषि उपज मण्डी समिति ..... द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड डॉसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक ..... को ..... तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना का स्थान	तौल कांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रु.)	धरोहर राशि

शर्तः—

1. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर जारी किए जायेंगे।
2. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक निविदाकारों को [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर पंजीयन कराना होगा।

सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी / अध्यक्ष  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला.....

**"निविदा आमंत्रण सूचना"**

कृषि उपज मण्डी समिति ..... द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रासफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक ..... तक ॲनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ॲनलाईन पोर्टल [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती है।

क्रं०	इलेक्ट्रानिक तौलकांटा रस्थापना का स्थान	तौल कांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रु.)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का कीमत

शर्त :-

1. रस्थापित कराये जाने वाले बी.ओ.टी. तौलकांटे हेतु तुलाई की दरें निम्नानुसार रहेगी:-
  1. प्रति ट्राला.....
  2. प्रति ट्रक .....
  3. प्रति ट्राली .....
  4. प्रति बैलगाड़ी .....
  5. हाथ ठेला .....
2. निविदा के सभी संशोधन ॲनलाईन पोर्टल [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर जारी किए जायेंगे।
3. निविदा में भाग लेने वाले इच्छूक निविदाकारों को [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर पंजीयन कराना होगा।
4. इस ई-टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों को धरोहर राशि रु..... का राष्ट्रीय/शेड्यूल बैंक को एफ.डी.आर. जो सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से देय की मूल प्रति बिड के अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक..... तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना है।
5. ॲनलाईन निविदा प्रपत्र क्य करने की अंतिम तिथि..... है।
6. नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

7. फर्म/ संस्था/ सहकारी संस्थायें स्वरूप के ऑनलाईन निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की वैद्य स्वप्रमाणित प्रतियों प्रस्तुत करना होगी।
- (अ) Registrations of Firm/ establishment (गुमाश्ता)
- (ब) PAN No.
- (रा) ST Registration
- (द) Tax Clearance certificate of previous year
- (ई) Affidavit on Rs.100/- stamp stating that documents submitted Physically/ ONLINE are correct & No close relative.
8. व्यक्तिगत निविदाकार द्वारा कमांक-07 में उल्लेखित दस्तावेज सफल निविदाकार होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मण्डी समिति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।
9. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जावेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों दिनांक .....तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति

.....जिला ..... (मोप्र०)

### टेप्डर शेड्यूल

- (1) निविदा प्रपत्र क्य करने की दिनांक.....
- (2) निविदा प्रपत्र क्य करने की अंतिम दिनांक.....
- (3) निविदा बिड submission end date-----
- (4) वित्तीय ऑफर खोलने की दिनांक एवं समय.....

सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला.....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..... , जिला—..... (म.प्र.)

बी.ओ.टी. आधार पर तौल कॉटा स्थापना एवं संचालन का "निविदा प्रपत्र"

परिशिष्ट—"अ"

1. निविदाकर्ता व्यक्ति / फर्म का —  
नाम .....  
2. निविदाकर्ता व्यक्ति / फर्म का  
वाणिज्यिक रजिस्ट्रेशन का  
प्रकार / निर्माता / अधिकृत  
एजेन्ट / अन्य .....  
3. फर्म का अन्य विवरण व —  
पदाधिकारियों की सूची .....  
4. अन्य जानकारी जो —  
निविदाकर्ता आवश्यक समझे  
5. जमा की गयी धरोहर राशि — F.D.R. क्रमांक व बैंक का नाम  
का विवरण दिनांक .....  
राशि रु. ....  
6. पत्र व्यवहार का पता —  
दूरभाष नंबर ..... मो.नं. ....  
ई-मेल आई डी .....  
.....

निविदाकर्ता फर्म / व्यक्ति के हस्ताक्षर .....  
हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..... , जिला—..... (म.प्र.)

परिशिष्ट—“ब”

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया है। मंडी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है। यदि मंडी समिति बी.ओ.टी आधार पर तौलकॉटा स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो मैं/हम आवंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे। (संलग्न विस्तृत शर्तें)

- (1) इलेक्ट्रानिक तौलकॉटे की क्षमता.....  
(2) वार्षिक प्रीमियम की राशि अंकों में रु.....  
शब्दों में रु.....  
(3) प्रस्तावित तौलकॉटे का मेक/मॉडल .....  
(यदि निविदा के समय दिया जाना संभव हो तो)

दिनांक.....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

# कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..... , जिला—..... (म.प्र.)

(मुख्य मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण.....)

बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटा स्थापना की विस्तृत शर्तें

1. तौल कांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी। आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का आकार  $15 \times 10$  वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।
2. आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का किराया कलेक्टर, ..... द्वारा मासिक रु. .... निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के किराये में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति वर्ष मंडी समिति द्वारा की जावेगी।
3. बी.ओ.टी आधार पर तौल कांटा लगाने के लिये व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को "तौल कांटा संचालक" कहा जावेगा।
4. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाले तौल कांटे के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौल कांटे तथा इसके संचालन के लिये निर्मित की गई समस्त संरचनाएँ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी। मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी।
5. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात् 15 कार्य दिवस के अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भू-खण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा। निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएँ उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जावेगी।
6. तौल-कांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रु. .... (रु. ....) सचिव कृषि उपज मंडी समिति के नामे राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शड्यूल बैंक के माध्यम से F.D.R. के रूप में जमा की जावेगी।
7. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियत के 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से जमा की जावेगी।
8. परिपत्र की कण्डिका कमांक-10 अन्तर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा कमांक-11 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (secured advance) रूप में मंडी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।
8. मंडी समिति में स्थापित किये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटे पर कृषि उपज की तौल के लिये प्रति द्राला/प्रति ट्रक/प्रति द्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि के लिये तुलाई की दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मंडी समिति को ही होंगे। तौल कांटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से वसूल नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मंडी समिति सक्षम रहेगी।
9. फर्म/संस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप के निविदाकारों के लिए आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन (PAN) तथा सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन एवं विगत वर्ष का टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा। व्यक्तिगत निविदाकार यदि सफल निविदाकार CE-38---33 होता है तो उसे कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार अभिलेख मण्डी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिकूल स्थिति में उसके धरोहर राशि एवं अनुबंध के पूर्व वार्षिक

प्रिमियम की जमा राशि राजसात की जाकर पुनः नियमानुसार निविदा की कार्यवाही करने के लिए मण्डी समिति सक्षम रहेगी।

10. तौल-कांटे की स्थापना का कार्य भारतीय मानक 1436, वर्ष 1991/9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा। इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी सभाग स्तर से किये जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जायेगा।
11. तौल कांटे की स्थापना एवं रख-रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौल कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार तौल-कांटे के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा किया जावेगा।
12. तौल-कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौल कांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन की छत का निर्माण ५० सी० शीट से ही करना होगा।
13. तौल-कांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञाप्ति प्राप्त करनी होगी। उपविधि 2000 की कंडिका 24(5) एवं (7) के प्रावधान तौल कांटा संचालक पर लागू रहेंगे।
14. तौल-कांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी। यदि कृषक स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करना होगी, किन्तु मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्य की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन बी.ओ.टी./अन्य बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा।
15. तौल कांटा संचालक द्वारा तौल-कांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा। नियत तिथि तक किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी।
16. तौल कांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौल-कांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल-कांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौल-कांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
17. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। मैकेनीकल तौल-कांटे नहीं लगाये जावेंगे।
18. तौल-कांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल-कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी। निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात् 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौल कांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी। नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी। यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

19. तौल-कांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा ।
20. तौलकांटा संचालक पर कान्टेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र /निर्देश, तौल-कांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।
22. तौल-कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु आधा किलोग्राम से लगाकर 100 किलोग्राम तक के 3-4 मानक वजन/बॉट भी हर समय तौल-कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग करवाना अनिवार्य होगा।
22. तौल कांटा संचालक को तौल कांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौल कांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी। आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौल कांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
23. अगर कोई तौल-कांटा संचालक तौल कांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात् 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।
24. तौल कांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर तौल कांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है। इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कंडिका-6 में गठित समिति द्वारा कर, अभिमत दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मंडी समिति कार्यवाही कर सकेगी। अन्तरण मान्य होने पर पूर्व तौल कांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक-10 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौल कांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौल कांटा संचालक की अकस्मात् मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात् ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा।उपरोक्त के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।
25. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशागी (secured advance) राशि की वापिस की जायेगी। परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशागी (secured advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जायेगी।

26. बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित कराये गये तौल-कांटे की क्षमता को दोनों पक्षों की सहमति से यदि आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना हो तो इस के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं लेखापाल कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाकर तौल-कांटे की क्षमता परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें सम्पूर्ण व्यय आवंटिती तौल-कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।
27. तौल-कांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अथवा नियम विरुद्ध आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल-कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनदारी होगा।
28. बी.ओ.टी. के आधार पर तौल-कांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौल-कांटा संचालन द्वारा उल्लंघन किये जाने की रिस्ति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौल-कांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।
29. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।
30. न्यायालयीन वाद-विवाद की रिस्ति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष  
कृषि उपज मण्डी समिति  
.....जिला.....

निविदाकर्ता व्यक्ति /फर्म/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर.....